

# पर्यावरण विभाग


## राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

'सी' विंग, छटा तल, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110 002

अतारंकित प्रश्न संख्या : 85  
दिनांक : 27 फरवरी 2019  
प्रश्नकर्ता का नाम : श्री मनोज कुमार

क्या पर्यावरण मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक संख्या	प्रश्न	उत्तर
क-	कोंडली विधान सभा क्षेत्र में स्थित एसटीपी, कूड़े का पहाड़ गाजीपुर, मुर्गा मण्डी, मछली मण्डी, बकरा व भैस मण्डी, बूचडखाना में से कौन सी संस्था पर्यावरण को दूषित करती है;	एस0 टी0 पी0 प्रदूषित जल को संशोधित करने के लिये प्रयोग किये जाते हैं। कूड़े का पहाड़ (Land fill) गाजीपुर, मुर्गा मण्डी, मछली मण्डी, बकरा व भैस मण्डी, बूचडखाना आदि संस्थान यदि पर्यावरण मानकों का उलंघन करते हैं, तो वे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। डी0 पी0 सी0 इसकी समय-समय पर जाँच करती है।
ख-	कोई संस्था अगर दूषित करती है तो उस पर पर्यावरण विभाग क्या कार्यवाही करता है;	पर्यावरण मानकों का उलंघन पाये जाने पर पर्यावरण कानूनों एवं नियमों के अनुसार संबंधित विभाग द्वारा कार्यवाही की जाती है।
ग-	क्या यह सत्य है कि इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रदूषण होने के कारण पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;	पू0 दि0 न0 नि0 ने गाजीपुर डमप को खत्म करने के लिए मैमर्स ए0 जी0 डाटर्स के साथ प्रतिदिन 200 मीट्रिक टन पुराने कूड़े को प्रोसेस करके बिजली, पानी तथा ईंधन बनाने का प्रायोगिक परियोजना के तहत करार किया है और अगर ये परियोजना सफल हो जाती है तो पुरे डमप को प्रोसेस करने के लिए लागू की जायेगी। अभी इस परियोजना को चालू करने के लिए भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय से पर्यावरणीय क्लैरिफिकेशन बहुप्रतीक्षित है।
घ-	यदि हाँ तो उसका विवरण क्या है?	

  
Kaushal Kishore  
Dy. Secretary (Env)  
Govt. of NCT of Delhi  
Delhi Sectt., Delhi